भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

(प्रकरण कमांक FP/MP/WATER/151540/2022)

<table>
<tr><td>1</td><td>स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें।</td><td></td><td>जी नही।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।</td><td></td><td>सहमत है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।</td><td></td><td>महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत सिंगरौली जिले के वनमण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई एवं बरगवां मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पाईप लाईन डालने का कार्य किया जाना है। पाइप लाइन विस्तार मे वनमंडल सिंगरौली की निम्नानुसार भूमि प्रभावित हो रही है।

<table>
<tr><th>जिला का नाम</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>परिक्षेत्र का नाम</th><th>कक्ष कमांक</th><th>रकवा</th></tr>
<tr><td rowspan="8">सिंगरौली</td><td rowspan="8">सिंगरौली</td><td rowspan="6">पश्चिम सरई</td><td>PF 659</td><td>0.1903</td></tr>
<tr><td>PF 653</td><td>0.1659</td></tr>
<tr><td>RF 698</td><td>0.0124</td></tr>
<tr><td>RF 720</td><td>0.0043</td></tr>
<tr><td>RF 721</td><td>0.1052</td></tr>
<tr><td>PF 730</td><td>0.0301</td></tr>
<tr><td rowspan="2">बरगवां</td><td>RF 237</td><td>0.4884</td></tr>
<tr><td>RF 238</td><td>0.8096</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>योग:–</td><td>1.8062</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			वनमण्डल की प्रचलित कार्यआयोजना अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि मे से कक्ष क्रमांक आर.एफ.–237, 238, 698, 720, 721 एवं पी.एफ. 653 हाथी कारीडोर मे सम्मिलित है। वनमण्डल की कार्यआयोजना मे हाथी कारीडोर के संबंध मे निम्नानुसार प्रावधान है। (अ) 2.47 (9) कारीडोर मे किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की निरंतरता मे व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी, भवन निर्माण , डिपो की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे। (ब) 2.47 (10) कारीडोर मे स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किये जाये । यदि एसा करनो अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम हाथी कारीडोर की स्थापना की जाये। कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1–18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को 1.8062 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी वनमण्डल संगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पेय जल पाइप लाइन विस्तार हेतु 1.8062 हेक्टेयर वन भूमि महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 08.10.2022
स्थानः रीवा

08.10.2022

(आनन्द कुमार सिंह भा.व.से. 2001)
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)